



ई-मेल / विभागीय वैबसाइट।

## कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

दूरसं० 0135-2746934, 2741461. फ़ैक्स-2741630, 2741462 ईमेल - pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या-क-133 / 7-1 देहरादून, दिनांक, 28 जुलाई, 2020।

### आदेश


उत्तराखण्ड वन विभाग में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्यों का मूल्यांकन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं०-98/14, प०भू०वि० दिनांक 07.01.1994 में प्रावधानित मानकों के अनुसार किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों एवं उसके साथ-साथ यहाँ की विशिष्ट जलवायु के सन्दर्भ में वृक्षारोपण की सफलता हेतु संगत मानक निर्धारित किये जाने आवश्यक है।

उपरोक्त क्रम में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की दिनांक 26.06.2020 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तराखण्ड में किये जा रहे वृक्षारोपण की सफलता के मानकों के निर्धारण करने हेतु पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक- क-721/7-1 दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के माध्यम से गठित समिति में संशोधन करते हुए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड - अध्यक्ष
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा - सदस्य
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी - सदस्य
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल - सदस्य
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण - सदस्य
6. वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी - सदस्य
7. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त - सदस्य
8. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त - सदस्य
9. वन संरक्षक, यमुना वृत्त - सदस्य
10. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त - सदस्य
11. उप वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण - सदस्य सचिव
12. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग - सदस्य
13. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग - सदस्य
14. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग - सदस्य

अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे आवश्यकता अनुसार उक्त समिति में अन्य सदस्य "को-ऑप्ट" कर सकती हैं।

समिति द्वारा उत्तराखण्ड के अलग-अलग क्षेत्रों (तराई/पर्वतीय आदि) में सफलता के मानकों का निर्धारण कर अपनी रिपोर्ट विलम्बतम 15 सितम्बर, 2020 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत कर दी जायेगी।


 28/07/2020  
(जय राज)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक-3-133 / 71 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, हल्द्वानी।
7. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
8. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
9. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
10. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा।
11. उप वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, देहरादून।
12. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
13. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
14. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
15. विभागीय 'वेबसाईट'।

  
(जय राज) 28/07/2020  
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),  
उत्तराखण्ड।